रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 642] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 1971/पौष 7, 1893

No. 642] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 1971/PAUSA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 28th December 1971

S.O. 5589/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertakings known as Rampooria Cotton Mills Limited, Serampore, P. O. Rishra (District Hooghly), for which, having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred to section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri C. A. Subrahmanyam, Sri Sai, 40, Fois Garden, Madras-6.

Members

2. Shri F. C. Dhaun, Director (Finance), National Textile Corporation Ltd., New Delhi.
3. Dr. P. V. Seshadri, Adviser (Technical), National Textile Corporation Limited, New Delhi.

4. Dr. S. M. Mukherjee, Regional Director, Apprenticeship Training Scheme, DGE & T, Eastern Region., Calcutta.

5. Shri S. Kumar, Senior Accounts Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, 27-Brabourne Road, Calcutta.

Member-Secretary

6. Shri B. D. Mukherjee, Deputy Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay-20.

[No. F. 9(36)/Lic-Pol./71]

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5589/15/आई डी आर ए/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि रामपुरिया काटन मिल्स लि०, शेरामपुर, डाकघर रिश्रा (जिला हुगली) नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

1. श्री सी० ए० सुब्रह्मण्यम, अध्यक्ष
   श्री साई, 40, पोइस गार्डन, मद्रास—6.
2. श्री एफ० सी० थॉन, निदेशक (वित्त), सदस्य
   राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली ।
3. डा० पी० वी० शेषाद्रि, सलाहकार (तकनीकी), सदस्य
   राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली ।
4. डा० एम० एम० मुखर्जी, क्षेत्रीय निदेशक, सदस्य
   प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना,
   रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय (पूर्वी क्षेत्र),
   कलकत्ता ।
5. श्री एस० कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सदस्य
   क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय,
   समवाय विधि बोर्ड,
   27, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता—1.
6. श्री बी० डी० मुखर्जी, उप-निदेशक,
   वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई—20. सदस्य-सचिव

[सं० फ० 9(36)/लाई०पौल०/71]

S.O. 5590/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Somasundaram Mills (P) Limited, Coimbatore, for which having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri G. V. S. Desikan, Technical Director, Tamil Nadu Textile Corporation, Madras.

Member-Secretary

2. Shri C. Madhav Rao, Deputy Director (Finance) National Textile Corporation.

[No. F. 9(37)/71-L.P.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

का० आ० 5590/15/आई०डी०आर०ए०/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सोमासुन्दरम मिल्स (प्रा०) लि०, कोयम्बटूर नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है जिसके लिए विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है;

अतः, अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

1. श्री जी० वी० एस० देसिकन, अध्यक्ष
   तकनीकी निदेशक, तमिलनाडु वस्त्र निगम, मद्रास ।
2. श्री सी० माधव राव, सदस्य-सचिव
   उप-निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय वस्त्र निगम ।

[सं० फ० 9(37)/आई०पी०/71]

सु० कु० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971